आदेश की कम स ० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
8.05.17	**प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल** **बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 161/14–15** **भिखारी राम चन्द्रवंशी वनाम् चन्द्र विलास यादव एवं अन्य** **आदेश** आवेदक भिखारी राम चन्द्रवंशी पिता स्व ०–राम सुन्दर राम ग्राम+पोस्ट–तेर्रा,थाना– करपी,जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर मापी अनुसार अधिकारो का प्रख्यापन करने एव क्षतिग्रस्त दीवार को उठाने का आदेश देने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम–कुतुबपुर तेर्रा, थाना–करपी, जिला–अरवल में अवस्थित है निम्न है:–	

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
193	789/2251	$1\frac{1}{2}$ कट्ठा	उतर–सडक,दक्षिण–विपक्षी न ० 1 एवं 2 एवं रामकरण यादव,पूरब–गणेशी सिंह वो टहलु सिंह,पश्चिम–प्रयाग पासवान वगैरह

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। तदनुसार अनुसेवी से नोटिस तामिला किया गया और नोटिस तामिला संपुष्ट किया गया। विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए और वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि आवेदक की स्व ० पिता के नाम से खरीदगी भूमि है।

(2) विवादित भूमि में आवेदक का मिट्टी तथा ईट का मकान कायम था दक्षिण और पूरब दिवाल मिट्टी का बना था जो क्षतिग्रस्त हो गया है जिसे विपक्षीगण उठाने नही दे रहे है।

(3) विवादित भूमि को लेकर श्रीमान् के न्यायालय मे वाद संख्या 51/2011 भिखारी राम वनाम् सिरचन यादव में मापी कराई गई। उक्त मापी प्रतिवेदन दिनांक 03.12.2011 को सपुष्ट की जा चुकी है लेकिन विपक्षीगण दिवाल उठाने नहीं दे रहे है।

(4) अंचल अधिकारी,करपी के द्वारा विवादित भूमि की चिन्हित भी कराई गई जिसे विपक्षीगण मानने को तैयार नही है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे माँगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एव वाद मे पोषित कागजातो का अवलोकन किया। आवेदक ने विवादित भूमि पर दावा दिनाक 10.11.1978 के निर्धारित बसीका के आधार किया है जो उनके पिता के नाम रामपति राम पिता श्री सागर रूप से खरीदी भूमि है। विवादित भूमि की नापी पूर्व मे सर्व जानकार अधिवक्ता आयुक्त एव पुनः अंचल अमीन करपी से हो चुकी है। उपरोक्त दोनों नापी प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा आवेदक को अपनी भूमि में मकान निर्माण में बाधा पैदा की जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विवादित भूमि पर आवेदक के अधिकारो, नापी के अनुसार, का प्रख्यापन किया जाता है। साथ ही विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वे आवेदक के अपनी भूमि में मकान निर्माण मे कोई बाधा उत्पन्न नही करे। साथ ही अंचल अधिकारी, करपी को भी आदेश दिया जाता है कि एक माह के उपरान्त यदि विपक्षी के द्वारा आवेदक के मकान निर्माण मे बाधा उत्पन्न किया जाता है तो आवश्यक कानूनी कारवाई करे। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

8.03

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

8.03

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।